

“Free Right of way order from Urd Govt.”
संख्या ३६६ / XXXIV / 2014 / 20 / 2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में।

समर्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

अधिकारी

देहरादून: दिनांक ०८ अगस्त, 2014

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत रत्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) कनेक्टिविटी बिछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपत्र वेहिकिल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के रामबन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्रते संलग्न) का हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएं लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले विभिन्न की खुदाई से पूर्व विभिन्न रत्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इम्लीमेंटेशन इंजीनीर है, द्वारा प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संरथाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लानी पड़े, इस हेतु ब्लैंकेट अप्रूवल एतदद्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत आप्टिकल फाइबर केबिल (OFC) बिछाने हेतु गिरशुलक अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई न रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रत्यक्ष- 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित समर्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भाँति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल रिथिति में लाई जाए। सड़क की कटान को बद्धाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा; परकी सड़क

को पार करने के लिए एचओडी० अथवा हॉर्जेन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जायेगा। ताकि सड़क को हाँने वाली धति को कम से कम किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कमानेयों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ओफ वे (ROW) चार्ज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का भशदान माना जायेगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क राहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना रा सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं बेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विधायक सफल एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:-

1— जिलाधिकारी-	भव्यक्ष
2—मुख्य दिकास अधिकारी-	सदस्य सचिव
3—अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग—	सदस्य
4—अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा-	सदस्य
5—अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग—	सदस्य
6—अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग—	सदस्य
7—अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, पेयजल विभाग—	सदस्य
8—प्रभागीय वनाधिकारी—	सदस्य
9—जिलाधिकारी-	सदस्य
10—सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी / नगर अधिकारी—	सदस्य
11—अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित—	सदस्य
संलग्नक:- यथोच्चत्।	

भव्य देय,

(सुभान चूमार)
मुख्य सचिव